आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2016

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं०नि० 30-40/2016 – 1057

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन, (बि.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक – 27.2.2016

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2016 – नामांकन के लिए आवश्यक अनुदेश सर्व साधारण को अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलों में चरणवार विभिन्न पदों पर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जायेंगे। पंचायत निर्वाचन में जो भी ग्रामीण जनता अभ्यर्थी बनना चाहते हैं उन्हें नाम निर्देशन की सामान्य जानकारी होनी चाहिये। पत्र के साथ नामांकन के लिए आवश्यक अनुदेश की प्रति संलग्न है। जिसे नामांकन स्थल के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में फ्लेक्स बनवाकर प्रदर्शित करा दिया जाय।

2. अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक तैयारी कर ली जाय।

विश्वासभाजन,
Sd/-
सचिव।

96 (पं०)
29/2/16

ज्ञापांक 278 दिनांक – 29.2.16

प्रतिलिपि:- सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी सदर/बेनीपुर/बिरौल/सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दरभंगा जिला/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी वरीय पदाधिकारी दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 29/2/16
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
दरभंगा
29/02/16

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506817, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom
D:\pm5\P_E_2016/167

नामांकन के लिए आवश्यक अनुदेश

1. नामांकन पत्र प्रपत्र–6 में अधिकतम दो सेटों में जमा कर सकते हैं।
2. नाामांकन शुल्क के रूप में निम्न राशि नाजीर रसीद के माध्यम से जमा की जाएगी :–

   (i) जिला परिषद सदस्य पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 2000/– (दो हजार) रूपये तथा आरक्षित कोटि यथा (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1/महिला) के लिए 1000/– (एक हजार) रूपये शुल्क नाजीर रसीद के रूप में जमा करना होगा।

   (ii) पंचायत समिति सदस्य/ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 1000/– (एक हजार) रूपये तथा आरक्षित कोटि यथा (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1/महिला) के लिए 500/– (पांच सौ) रूपये शुल्क नाजीर रसीद के रूप में जमा करना होगा।

   (iii) ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 250/– (दो सौ पच्चास) रूपये तथा आरक्षित कोटि यथा (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1/महिला) के लिए 125/– (एक सौ पच्चीस) रूपये शुल्क नाजीर रसीद के रूप में जमा करना होगा।
3. आरक्षित कोटि यथा (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1) के लिए मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक सेटों में नामांकन करने पर दूसरे नामांकन पत्र में छायाप्रति लगेगा।
4. प्रस्तावक उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होगा जिस क्षेत्र से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
5. प्रस्तावक की भी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
6. जिला परिषद सदस्य पद का प्रत्याशी होने के लिए उस जिला के पंचायत आम निर्वाचन के निर्वाचक सूची का निर्वाचक होना अनिवार्य है, यदि दूसरे प्रखंड/अनुमंडल के अभ्यर्थी उस प्रखंड/अनुमंडल के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं तो परन्तु इसके लिए नामांकन के साथ मतदाता सूची की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा
7. ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच/पंचायत समिति सदस्य पद का प्रत्याशी होने के लिए उस प्रखंड के पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का निर्वाचक होना अनिवार्य है।
8. ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद का प्रत्याशी होने के लिए उस पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र का निर्वाचक होना अनिवार्य है।
9. नामांकन पत्र के साथ निम्न शपथपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है :–

   (i) अनुसूची–I बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 136 (1) की अर्हता के संबंध में।

   (ii) अनुसूची– II पंचायत आम निर्वाचन के निर्वाचक सूची का निर्वाचक होने का शपथ पत्र।

   (iii) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) के नियम 125 (क) के अनुसूची – III तथा उसके साथ संलग्न – III (क) III (ख) का शपथ पत्र।
10. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्ति पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी का चुनाव नहीं लड़ सकते –

    (i) आंगनबाड़ी सेविका;

    (ii) विशेष शिक्षा परियोजना/साक्षरता अभियान/विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक;

    (iii) पंचायत के अधीन मानदेय/अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र/न्याय मित्र/विकास मित्र या अन्य कर्मी;

    (iv) पंचायत के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति;

    (v) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत/पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/शिक्षक/प्रोफेसर/शिक्षकेत्तर कर्मचारी आदि;

    (vi) कार्यरत गृहरक्षक (होमगार्ड);

    (vii) सरकारी वकील (जी.पी.) लोक अभियोजनक (पी.पी.) सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क (Retainer) पर नियुक्त किये जाते हैं। सहायक लोक अभियोजक वेतनभोगी सरकारी सेवक हैं अतः वे भी पंचायत के पदो के अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं।

    अगर उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो दृष्टि में आने पर संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।

    किन्तु सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्त्ता (Commissioned Agent), अकार्यरत गृहरक्षक पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता (ए.जी.पी.) एवं अपर लोक अभियोजनक (एडिशनल पी.पी.) जो केवल शुल्क पर नियुक्त किये जाते हैं, पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं।